UPVR010058052026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, वाराणसी

उपस्थितः संजीव शुक्ला, एच.जे.एस.(यू0पी01900)

<u>प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र सं0–1916/2026</u>

गनेशु उर्फ जय प्रकाश पुत्र दशरथ निवासी टिकरी थाना चितईपुर जिला वाराणसी।

.....प्रार्थी/अभियुक्त

प्रति

उ0प्र0 राज्य **.....अभियोजन,**

मुकदमा अपराध संख्या–117/2026
धारा–137(2), 87 BNS
थाना–चितईपुर, जिला–वाराणसी।

<u>16–06–2026</u>

1– यह जमानत प्रार्थनापत्र प्रार्थी/अभियुक्त **गनेशु उर्फ जय प्रकाश** की ओर से उपरोक्त मामले में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है।

2 – जमानत प्रार्थनापत्र के साथ शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3– अभियोजन कथानक के अनुसार, वादी सुनील के द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी कि दिनांक 11.05.2026 को समय करीब 1.30 बजे रात को विपक्षी गनेशु उसकी नाबालिग पुत्री/पीड़िता उम्र 15 वर्ष को घर से बहला–फुसलाकर भगा ले गया। उसे आशंका है कि गनेशु उसकी पुत्री की इज्जत लूटकर अप्रिय घटना कर सकता है। विपक्षी आपराधिक किस्म का व्यक्ति है और वह उसकी पुत्री के साथ बराबर छेड़छाड़ करता रहता है।

4– उपरोक्त घटना के आधार पर अभियुक्त गनेशु उर्फ जय प्रकाश के विरूद्ध धारा 137(2) BNS में अभियोग पंजीकृत कराया गया। दौरान विवेचना अभियुक्त को उसके घर से पकड़ लिया गया।

5– प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से जमानत हेतु तर्क प्रस्तुत किया गया कि उसे झूंठा फंसाया गया है। वास्तविकता यह है कि कथित पीड़िता अपने घर से अत्यधिक शारीरिक व मानसिक प्रताड़ना से ऊब चुकी थी। दिनांक 12.05.2026 को उसके पिता द्वारा मारे पीटे जाने के कारण अत्यधिक दुखी मन से आत्महत्या करने की नियत से घर से निकलकर भुल्लनपुर रेलवे लाईन पर जा रही थी तभी प्रार्थी/अभियुक्त ने अपने ही गली मुहल्ले के होने के कारण उसे इस स्थिति में देखकर रोका और पूछा तो उसने बताया कि मम्मी पापा की रोज–रोज की प्रताड़ना से जीने की कोई इच्छा नहीं है इसलिए आत्महत्या करने जा रही हूं। प्रार्थी/अभियुक्त उसे मनाकर अपने घर लाया। प्रार्थी के घर वालों तथा आस–पास के लोगों द्वारा समझाने बुझाने पर पीड़िता ने यह शर्त रखी कि वह उससे शादी करेगा तभी वह घर वापस जाएगी, तब प्रार्थी विवश होकर झूंठ बोला कि हां वह शादी करेगा, प्रार्थी ने पीड़िता को घर पहुंचा दिया। प्रार्थी/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। वह दिनांक 16.05.2026 से जेल में है। वह बिल्कुल निर्दोष है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाए।

6– विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी द्वारा जमानत प्रार्थना–पत्र का प्रबल विरोध करते हुए कथन किया गया कि अभियुक्त द्वारा वादी की पुत्री को

Digitally signed by SANJEEV SHUKLA
Date: 2026.06.16 13:26:18 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

बहला–फुसलाकर भगा ले जाने का अपराध कारित किया गया है। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है। अतः जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाय।

7– पीड़िता ने अपने बयान अंतर्गत धारा 183 बी.एन.एस.एस में कथन किया है कि ''मैं 15 साल की हूं। दसवीं में पढ़ती हूं। दिनांक 11.05.2026 को मैं गनेश कुमार के साथ रात 10 बजे के करीब घर से निकल गयी थी। गनेश मुझसे शादी के लिए कह रहा थ। हम उसके बुआ के घर गये। वहां से उसके मम्मी पापा हमें अपने घर ले आए। गनेश ने मेरे साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाया।''

8– मेरे द्वारा उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण के तर्कों को सुना गया तथा अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया गया।

9– मामले के तथ्यों, परिस्थितियों, उपलब्ध साक्ष्य, सामग्री को दृष्टिगत रखते हुए, मामले के गुणदोष पर कोई राय व्यक्त किये बिना, मेरी राय में प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त **गनेशु उर्फ जय प्रकाश** की ओर से उपरोक्त मामले में प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र तदनुसार स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा मुबलिग 50,000/– (पचास हजार रूपये) का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समान धनराशि की दो प्रतिभू सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि पर दाखिल किये जाने एवं निम्न शर्तों के अधीन अण्डरटेकिंग प्रस्तुत करने पर उसे जमानत पर रिहा किया जाए–

1– प्रार्थी/अभियुक्त विचारण में सहयोग करेगा तथा प्रत्येक तिथि पर न्यायालय में उपस्थित होगा।

2– प्रार्थी/अभियुक्त आरोप तथा बयान अन्तर्गत धारा 351 बी०एन०एस०एस० जैसी सारवान तिथियों पर विचारण न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होगा।

3– प्रार्थी/अभियुक्त किसी साक्षी को प्रलोभित व प्रकोपित नहीं करेगा।

4– प्रार्थी/अभियुक्त जब भी अपना अस्थाई व स्थाई पता परिवर्तित करेगा तो इसकी सूचना सम्बन्धित न्यायालय को देगा।

5– प्रार्थी/अभियुक्त किसी भी प्रकार के अपराध में संलिप्त नहीं होगा तथा न्यायालय की अनुमति के बगैर देश छोड़कर विदेश नहीं जाएगा।

प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा उपरोक्त शर्तों में से किसी भी एक शर्त का उल्लंघन किये जाने की दशा में अभियोजन पक्ष जमानत निरस्त कराने के लिए स्वतंत्र होगा।

दिनांक : 16–06–2026

(संजीव शुक्ला)
सत्र न्यायाधीश,
वाराणसी।

J.O. Code-UP1900

Steno-Gaurav Maurya